3
PM ने की छग सरकार की सराहना

5
भारतीय अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता

6
छगः नक्सली माओवाद पर निर्णायक प्रहार

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 03 प्रति सोमवार, 26 मई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

भारतीय सेना पर विजय शाह के बाद जगदीश देवड़ा के भी बिगड़े बोल

बेशर्मों की तरह देश की सेना को अपमानित करने वाले इन मंत्रियों से क्या इस्तीफा लेने वाला कोई नहीं?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

क्या है हंसते-हंसते तीन बार माफी मांगने के मायने? क्या बीजेपी मंत्री को बचा रही है? क्या मप्र पुलिस किसी मंत्री को कानून से ऊपर मानती है? क्या सिर्फ FIR होगी, गिरफ्तारी नहीं? क्या सत्ता के आगे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणी मायने नहीं रखती? ये कुछ ऐसे दागते सवाल हैं जिनके जवाब आज पूरा देश मांगने चाहता है। सिर्फ जवाब नहीं गटरछाप बोल बोलने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह पर सख्त कार्यवाही करने की मांग भी कर रहा है। क्योंकि जिस तरह विजय शाह ने देश की बेटी और सेना की वरिष्ठ अफसर कर्नल सौफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की है उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन सत्ता और संगठन के कान

पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बीजेपी और संगठन इतने दिनों बाद भी चुप है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। ये गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सख्त टिप्पणी की।

जगदीश देवड़ा ने भी नहीं लिया विजय शाह से सबक

मध्यप्रदेश भाजपा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बड़बोले और अभद्र बयानबाजी का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बिगड़ैल बोल ने प्रदेश सरकार और भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी है। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिखा अनोखा अंदाज, बासिंग कैंप परिसर में साय ने लगाई जन-चौपाल

-विजया पाठक

राज्य में सुशासन लाने और नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लेकर कार्य कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों जनसंवाद कर जनता के हालचाल को जानकर उन्हें सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह नवाचार न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के नेताओं को खासा पसंद आ रहा है। यही कारण है कि विष्णुदेव साय समय-समय पर इस जनसंवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सुशासन तिहार के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक स्थित ग्राम बासिंग में बीएसएफ कैम्प परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने चौपाल लगाकर जनसंवाद किया। नीम वृक्ष की छांव में खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, बल्कि मौके पर ही एक करोड़ रुपये से अधिक की सौगातों की घोषणा की। सीएम की घोषणा से स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की।

सीएम ने लगाई चौपाल

चौपाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 8 अप्रैल से पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसंवाद और योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वे स्वयं क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक साफा और कलगी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और हॉफ मैराथन विजेता छात्र को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की समीक्षा की और कहा कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी। ग्रामवासी महेश्वरी दुग्गा और मनकाय ने योजना के लाभ के बारे में सीएम को जानकारी देते हुए सीएम को धन्यवाद दिया। (शेष पेज 2 पर)

प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी बढ़ायें ताकि फिर पहलगाम, पुलवामा और उरी जैसी आतंकी घटनाएं न हो

-विजया पाठक

भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के संरक्षण में पले-बढ़े टीआरएफ के आतंकियों ने निर्दोष भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटनाक्रम के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। यही कारण है कि देश का हर नागरिक इस निर्मम हत्या का बदला लेने के लिये उत्सुक था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की बारीकियों को समझा और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि यह घटना कहीं न कहीं भारत की तरफ से हुए सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन बहनों के सिंदूर और माताओं के बेटों की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कगार पर खड़ा हो गया है। भारतीय पर्यटकों के साथ हुई इस निर्मम और कायराना हत्या का न सिर्फ भारत ने कड़ा विरोध किया बल्कि विश्व के कई प्रमुख राष्ट्रों ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत के साथ खड़े होने पर सहमति दी। (शेष पेज 2 पर)

भारतीय सेना पर विजय शाह के बाद जगदीश देवड़ा के भी बिगड़े बोल

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की चुप्पी किस बात की ओर संकेत देती है?

(पेज 1 से जारी)

प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा भी विजय शाह की तरह बड़बोले बयान देने वाले नेता बन गये। वित्तमंत्री जैसा गंभीर मंत्रालय के मुखिया होने के बाद भी देवड़ा ने जिस ढंग से बयान दिया और भारतीय सेना की शूरवीरता को तार-तार करने का जो कार्य किया है वह सच में भारतीय सेना और भारतीय समाज के लिए शर्मसार कर देने वाला है। दोनों ही नेताओं को बेशर्मी देखिए पहले उल्जुल-जुलूल बयान दीजिए और उसके बाद माफी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। अगर इसी तरह से बयानबाजियों का दौर चलता रहा तो निश्चित ही बीजेपी और थर्ड क्लास पार्टी के मूल्यों में कोई अंतर नहीं रह जायेगा।

सवाल बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे पर उठ रहे

खुद को सशक्त देशभक्ति पार्टी के रूप में देश में झंडे बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं के बेतुके बयानों से न सिर्फ प्रदेश भाजपा बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयं भी परेशान हैं।

विजय शाह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं

विजय शाह के बयान से न सिर्फ पूरे देश में गुस्सा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश तक खुद नाराज हैं। यही कारण है कि शाह पर एफआईआर दर्ज करने से लेकर उन्हें बर्खास्त करने तक की कार्यवाही के निर्देश कोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को दिये। कुल मिलाकर विजय शाह का खौफ भाजपा नेताओं में ऐसा है कि कोई नेता उनसे इस विषय पर बात नहीं कर रहा है।

आखिर ऐसा कैसा भय है शाह का

देखा जाये तो भाजपा द्वारा विजय शाह पर कार्रवाई न करना इस बात के संकेत देता है कि कहीं न कहीं भाजपा वोटों की राजनीति के कारण मजबूर है। यही कारण है कि मजबूरीवश भाजपा ने विजय शाह पर कार्रवाई का एक्शन नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय शाह के पास गये और उन्हें कुछ समय तक के लिए इस्तीफा देने की बात कही। लेकिन शाह ने तेजतर्रार तेवर में स्पष्ट कहा कि वे किसी भी रूप में मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया तो वे एक जनजातीय पार्टी का गठन कर लेंगे। अपनी सत्ता खोने के भय से मजबूर भाजपा ने इस पूरे मामले पर अनदेखी का रूख अपना लिया।

विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, गटरछाप बयानबाजी पर कैसी माफी

मोदी और शाह ने क्यों साधी चुप्पी?

आश्चर्य करने वाली बात यह है कि देश की बेटी कर्नल सौफिया कुरैशी पर दोनों ही प्रदेश के नेताओं द्वारा दिये गये बयान पर अब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोई बयान नहीं आया है। तीनों की चुप्पी इस बात की ओर इशारा तो नहीं करती कि इससे आने वाले समय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर कोई बड़ा संकट आ जाये। क्योंकि मंत्रियों के बड़बोलेपन से जुड़े बयान देने पर यह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपने मंत्रियों के ऊपर अनियंत्रण के संकेत देता है।

क्या हैं इन धाराओं का मतलब?

धारा 196(1)(b) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत एक प्रावधान है जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों से संबंधित है। यह धारा सार्वजनिक शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इस धारा के तहत दंडित होने पर, व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है। यह अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को भड़काने या बढ़ावा देने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानता है। इस धारा के तहत अपराध करने पर आजीवन कारावास या सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 197(1)(सी) राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी विशेष वर्ग के लोगों के बीच वैमनस्य या नफरत पैदा करने के लिए अपील या सलाह देते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। इसमें भी सख्त सजा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिखा अनोखा अंदाज, बासिंग कैंप परिसर में साय ने लगाई जन-चौपाल

(पेज 1 से जारी)

नक्सलवाद पर दो टूक टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने नक्सल समस्या पर दो टूक कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र के लोगों के सहयोग से नक्सलवाद को समाप्त करने का राष्ट्रीय संकल्प मार्च 2026 तक पूरा होगा। उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बनी पुनर्वास नीति को देश की सर्वश्रेष्ठ नीति बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नोनी सशक्तिकरण, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत हितग्राहियों को चाबियां, चेक और नकद सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने दिव्यांग हितग्राही को व्हीलचेयर भी सौंपी।

मुख्यमंत्री न जनता को दी सौगात

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर मुरहापदर में पुलिया निर्माण हेतु 20 लाख रुपये, बासिंग में खेल मैदान और बालक आश्रम, शाला मरम्मत हेतु 20 लाख रुपये, मुरहापदर और एहनार में आंगनबाड़ी भवन हेतु 24 लाख रुपये, बासिंग में हाट बाजार से बस्ती तक सीसी सड़क हेतु 25 लाख रुपये, कुंदला, बासिंग व मुरहापदर में नवीन घोटूल हेतु 15 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ओरछा में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 8 करोड़ की लागत से निर्मित 250 सीटर छात्रावास भवन, जल आपूर्ति एवं विद्युतीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया।

प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी बढ़ायें ताकि फिर पहलगाम, पुलवामा और उरी जैसी आतंकी घटनाएं न हो

(पेज 1 से जारी)

युद्ध के मुहाने पर भारत-पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार और पाक सेना भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही से पूरी तरह से तिलमिला गई। यही कारण कि पाकिस्तान ने बगैर सोचे समझे भारतीय इलाकों में ऐसे क्षेत्रों को निशाना बनाने का प्रयास किया जहां आम नागरिक निवास करते हैं। जबकि देखा जाये तो भारत ने जवाबी कार्यवाही में 06-07 मई की दरमियानी रात को जो कार्रवाई की थी वह केवल उन आतंकी ठिकानों पर थी जहां यह आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, इनके जीवन को भटकाव की तरफ लाया जाता है। लेकिन पाक ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए भारत के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद देश में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है।

सुरक्षा में चूक कैसे, इस पर विचार जरूरी

आज पूरा विश्व इस बात से भलीभांति परिचित है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर और गरीब देश के सामने भारत पहाड़ किसी चट्टान से कम नहीं है। भारत पाकिस्तान को उसके द्वारा की जा रही गोलीबारी का जवाब भी पूरी सटीकता के साथ दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। एक समय हुआ करता था जब वहां बड़ी संख्या में पुलिस और सैन्य बल तैनात हुआ करते थे। लेकिन अचानक से कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने वहां से पुलिस और सैन्य बल को हटा दिया। आखिर सीमावर्ती इलाकों में भारत कैसे इतना बैफिक्र हो गया। इस बात पर हमको एक बार फिर विचार करना चाहिए। क्योंकि यह हमला भारत पर नहीं बल्कि भारत के मान, सम्मान और 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान पर हुआ था।

370 के बाद बैफिक्र तो नहीं हुआ भारत

गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के अनुसार भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अब कोई आतंकी हमला होने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने वहां से सीआईएसएफ और सेना के जवानों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। यही नहीं सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिखे गये पत्र के जवाब में किया। अब्दुल्ला ने सरकार से कहा था कि यदि वह पहलगाम से सैन्य बल हटा लेगी तो यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। लेकिन किसको पता था कि अमित शाह द्वारा लिया गया यह निर्णय एक दिन शाह को ही भारी पड़ेगा और पहलगाम पर आतंकी हमला हो जायेगा।

शाह की बड़ी बातें हुईं निराधार साबित

नाम न छापने की शर्त पर विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कई बार संसद में बड़े ही गुरूर के साथ इस बात को ताल ठोक-ठोक कर कह चुके थे कि मोदी सरकार में पुलवामा, उरी के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। जबकि यूपीए की सरकार में 26/11, संसद सहित पुणे ब्लास्ट जैसी कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में पहलगाम हमला अमित शाह की बड़ी-बड़ी बातों को निराधार साबित कर चुका है। जाहिर है कि शाह को एक कठोर और गंभीर राजनेता के रूप में जाना जाता है।

युद्ध किसी भी देश के लिये अच्छा नहीं

विश्व में पिछले दो तीन सालों में लगातार अलग-अलग देशों के बीच आपसी खींचतान के चलते युद्ध जैसी स्थिति बनी है। हमने देखा है कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच में लगभग एक साल से अधिक समय तक युद्ध चला और इस युद्ध में न सिर्फ इजराइल बल्कि हमास को भी बड़ा नुकसान हुआ बड़ी जनहानि हुई है। यही नहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी। जहां लंबे समय तक युद्ध हुआ। इस तरह के युद्ध से किसी भी देश को फायदा नहीं होता है। युद्ध के कारण देश के विकास पर अवरोध उत्पन्न होता है और देश में विकास कार्य पूरी तरह ठप्प पड़ जाते है जिसके कारण आर्थिक के साथ जन सामान्य को भी बड़ा नुकसान होता है।

ताकि फिर कोई ऐसी घटना न हो

बतौर पत्रकार मैं यही भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि यदि भारत के 140 करोड़ लोग बैफिक्र होकर अपने घरों में रह रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत की सेना को जाता है। सीमा पर जब सेना के जवान तैनात होते हैं तो दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। ऐसे में अब भारत सरकार को यह चाहिए कि वह अपने सीमावर्ती इलाकों को इस तरह से सुरक्षा से लैस करे कि दोबारा कोई 26/11, पुलवामा, संसद, उरी और पहलगाम जैसा आतंकी हमला न हो।

नीति आयोग की बैठक; प्रधानमंत्री ने की छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की सराहना

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में हो रहे सकारात्मक बदलाव, औद्योगिक निवेश और 'आत्मनिर्भर बस्तर' की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कैसे बस्तर अब संघर्ष नहीं, संभावना का प्रतीक बन रहा है जहाँ कभी बंदूकें चलती थीं, वहाँ अब मशीनें, लैपटॉप और स्टार्टअप की चर्चा हो रही है। नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की स्थापना से लेकर लिथियम ब्लॉक की नीलामी तक– छत्तीसगढ़ अब न केवल संसाधनों का राज्य है, बल्कि भविष्य के भारत की प्रयोगशाला बन रहा है। यह क्षण किसी औपचारिक संवाद का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री साय के प्रयासों की सहज स्वीकृति और सराहना का था। नीति आयोग की बैठक में जहां देशभर के राज्यों ने अपने विकास मॉडल प्रस्तुत किए, वहीं छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति ने प्रधानमंत्री की विशेष रुचि और सराहना प्राप्त की। यह स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ अब केवल एक उभरता हुआ राज्य नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला राज्य बन चुका है।

जशपुर में हो रहा को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़कों का विस्तार

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर वासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़कों के विस्तार हेतु सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जशपुर में नागरिकों के आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छः सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 18 करोड़ 46 लाख 87 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन मार्गों के निर्माण से लोगों के आवागमन में सुगमता होगी। जिले के लोगों में मिलने वाली सुविधा से खुशी की लहर है। राज्य शासन से स्वीकृति कार्यों में वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल जिला जशपुर के ग्राम चटकपुर से रेंगारबहार पहुंच मार्ग लम्बाई 2.46 किमी. के निर्माण हेतु 02 करोड़ 89 लाख 86 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कुनकुरी-औरीजोर-मातलूटोली-पंटेलापारा पहुंच मार्ग लंबाई 2.54 किमी. निर्माण कार्य हेतु 03 करोड़ 01 लाख 95 हजार, एन.एच.43 के किमी. 540/4 से मयाली डेम तक मार्ग लंबाई 2.28 किमी. निर्माण हेतु 02 करोड़ 85 लाख 01 हजार, मयाली नेचर कैम्प से मधेश्वर मंदिर तक मार्ग लंबाई 2.20 किमी. निर्माण हेतु 2 करोड़ 71 लाख 89 हजार, रानीचंप चौक से चिडराटांगर होते हुए पंडरीआमा-उपरकछार मार्ग लंबाई 3.44 किमी. निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 29 लाख 58 हजार और जोकरी से मधेश्वर पहाड़ तक पहुंच मार्ग लंबाई 2.88 किमी. निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 68 लाख 58 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

"उमंग 2025": समर कैंप में बच्चों की प्रतिभा का उत्साहपूर्ण प्रदर्शन

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस एवं जिला खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर "उमंग 2025" के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना है। वॉलीबॉल, रेस, कुश्ती और हॉकी जैसे पारंपरिक खेलों में न केवल शिविर में ऊर्जा का संचार किया, बल्कि बच्चों को खेलों के माध्यम से टीम भावना और अनुशासन का भी प्रशिक्षण मिला। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, रक्षित निरीक्षक भूरसिंह चौहान तथा सुबेदार मेघा शर्मा सहित पुलिस विभाग का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान एसपी काशवानी ने बच्चों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया, हाथ मिलाकर उन्हें प्रेरित किया और विभिन्न खेल गतिविधियों का निरीक्षण कर प्रतिभागियों की सराहना की। एसपी काशवानी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का एक उपयुक्त मंच प्राप्त होता है। विदिशा पुलिस भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करती रहेगी ताकि बच्चे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें।

प्रतिदिन नर्मदा नदी से रेत चोरी कर रहे रेत माफिया

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। राजस्व विभाग टिमरनी नायब तहसीलदार रश्मि धुर्वे, पटवारी दिनेश ठाकुर नर्मदा नदी घाट पर पहुंचे। जहा दल से रेत माफियाओं ने गुंडागर्दी की ओर एक पटवारी को तो ट्रेक्टर से कुचलने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार गोंदागांव गांव गंगेश्वरी नदी तट पर तीन ट्रेक्टर ट्राली अवैध रेत चोरी कर रहे थे। इसी दौरान टिमरनी राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर एक ट्रेक्टर ट्राली की चाबी निकाली। मौके पर पंचनामा बनाया। दो ट्रेक्टर ट्रालियों को अपने साथ ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में रेत माफियाओं ने धमकी दी अधिकारियों को धमकाकर, रेत के ट्रेक्टर ट्राली लेकर भागे इस दौरान राजस्व कर्मचारी पर ट्रेक्टर चढ़ाने की कोशिश की जिसमें पटवारी बाल बाल बचे। टिमरनी नायब तहसीलदार ने करताना पुलिस चौकी में लिखित शिकायत की। उसके बाद भी लगभग 5 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही नहीं की इसको लेकर कही न कही रेत माफियाओं को पुलिस के किसी कर्मचारी के संरक्षण की चर्चा रही। वही करताना चौकी में कुछ मीडिया कर्मियों को फोटो वीडियो बनाने से रोका भी गया। इधर ग्रामीणों ओर कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने को लेकर दबाव भी बनाने की कोशिश की गई। वही नायब तहसीलदार भी रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी जिद पर अड़ी रही। मौके पर चौकी में एसडीओपी टिमरनी को पहुंचना पड़ा। उसके बाद शाम के समय रिपोर्ट लिखी गई। जानकारी के अनुसार बिरजाखेडी नाव घाट से रेत और बजरी चोरी करना, बिना रायल्टी परिवहन होना, भीड एकत्र कर दबाव बनाना व बलपूर्वक जप्त शुदा वाहन ले भागने, ग्रामीणों एवं वाहन मालिकों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई।

सम्पादकीय

एक निर्णय पर पहुंचता दिखाई दे रहा वक्फ संशोधन विधेयक

वक्फ की परिकल्पना एक ऐसे संस्थान के रूप में की गई है जो समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्ग की सेवा करे और न्याय, दया तथा साझेदारी जैसे मूल्यों को सुदृढ़ बनाए। लेकिन बीते वर्षों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, प्रशासनिक लापरवाहियाँ, भ्रष्टाचार और कानूनी उलझनों ने इस प्रणाली को खोखला बना दिया है। मुसलमानों के इस पवित्र संसाधन का दुरुपयोग हुआ, जिससे न केवल समुदाय का विश्वास टूटा, बल्कि धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हुई। इन्हीं जटिलताओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया है, जो मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में व्यापक परिवर्तन करता है। यह विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक हित को भी प्रमुखता देता है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ जायदादों को 'सार्वजनिक धर्मार्थ संपत्ति' के रूप में चिन्हित कर उन्हें विशेष कानूनी संरक्षण देने की कोशिश की गई है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति या संस्था इन पर आसानी से दावा नहीं कर सकेगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि इससे उन लाखों एकड़ वक्फ जमीनों को बचाया जा सकेगा जो दशकों से गैर-कानूनी कब्जों के अधीन हैं। इसके साथ ही, यह विधेयक वक्फ बोर्डों को डिजिटल प्रणाली के अंतर्गत लाने का निर्देश देता है, जिससे संपत्तियों की पारदर्शी सूची बने, वार्षिक लेखा परीक्षण हो और आम जनता को यह जानने का अधिकार मिले कि वक्फ की आय कहाँ खर्च हो रही है। इससे ना सिर्फ भ्रष्टाचार में कमी आएगी बल्कि वक्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर मुसलमानों का विश्वास भी पुनः स्थापित होगा।

विधेयक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अब वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए केवल "उपयोग" के आधार पर दावा मान्य नहीं होगा। कई वर्षों से बिना किसी वैध दस्तावेज या घोषणा के लोग केवल लंबे समय तक जमीन के इस्तेमाल के आधार पर उसे वक्फ घोषित कर देते थे, जो शरीअत और न्याय दोनों के विरुद्ध है। नया विधेयक इस प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करता है और केवल विधिसम्मत रूप से समर्पित संपत्तियों को ही वक्फ मान्यता प्रदान करता है। यह प्रावधान न केवल जमीन हथियाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी सुचारु बनाएगा। जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, अब वक्फ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे जिनमें योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। इससे वर्षों तक लटके हुए वक्फ विवादों का शीघ्र और न्यायसंगत निपटारा संभव होगा। विधेयक इस बात पर भी बल देता है कि वक्फ की आय का उपयोग मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक-सामाजिक सेवाओं में किया जाए, न कि राजनीतिक या व्यावसायिक लाभ के लिए। इस प्रकार, यह संशोधन विधेयक वक्फ की धार्मिक और परोपकारी भावना की पुनर्स्थापना करता है। इस विधेयक द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं ताकि वह राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी कर सके, उनके कार्यों का मूल्यांकन कर सके और आवश्यकतानुसार दखल दे सके। इससे राज्यों के बीच समन्वय बढ़ेगा और निष्क्रिय या भ्रष्ट वक्फ बोर्डों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी नीतियों और डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से वक्फ संपत्तियों से आय भी बढ़ाई जा सकती है, जिसे सामाजिक विकास में लगाया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, अविकसित या बिना कब्जे वाली संपत्तियों को पीपीपी मॉडल या इस्लामी सामाजिक वित्त की सहायता से जनकल्याणकारी उपयोग में लाया जा सकता है।

सियासी गहमागहमी

फिर का होत जब चिड़िया चुग गई खेत

मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के प्रमुख मंत्रालय के मंत्री विजय शाह की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है कि उन्हें न तो सरकार का संरक्षण प्राप्त होता दिखाई दे रहा है और न ही पार्टी का। यही कारण है कि विजय शाह दिल्ली में दर-दर की ठोकरे खाते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी लगभग तीन-चार दिन का समय है। ऐसे में विजय शाह चाहते हैं कि किसी भी तरह से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक वे पहुंच जायें और किसी तरह से उन्हें मनापथा कर इस मामले में दी जाने वाली सजा को कुछ कम करा सकें। लेकिन एक कहावत है फिर का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मंत्री जी अगर अपनी जुबान पर पहले ही लगाम लगाकर रखते तो उन्हें यह दिन न देखने पड़ते और न ही उन्हें पांच बार माफी मांगनी पड़ती।

प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा नेत्रियों में मची होड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को भोपाल दौरे पर हैं। वे यहां एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस सम्मेलन को लेकर प्रदेश भाजपा और संगठन ने तैयारियां आरंभ कर दी है। खास बात यह है कि इस बार संगठन प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में सौंपने का विचार कर रहा है। यही कारण है कि इन दिनों प्रदेश की भाजपा नेत्रियों में जबरदस्त खींचतान चल रही है। हर कोई चाहता है कि उन्हें प्रधानमंत्री जी के करीब जाकर फोटो खिंचवाने का अवसर मिले, जिससे न सिर्फ उन्हें फेम मिलेगा बल्कि पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। हालांकि महिला नेत्रियों के बीच चल रहे इस खींचतान से पार्टी और संगठन अवगत हो गया है अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी इस विषय पर क्या निर्णय लेती है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

आज, पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में गया।
यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं।
यही पुंछ है - यही हिंदुस्तान है, जहां सौहार्द है, एकता है, देशप्रेम है।
हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे - हम हमेशा एकजुट रहकर, डटकर जवाब देंगे।
जय हिंद।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

छिंदवाड़ा में आदिवासियों की जमीन को भूमाफिया हड़प रहे हैं। मैंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से मामले की निष्पक्ष जाँच कर आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने की माँग की है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारतीय अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता

समता पाठक/जगत प्रवाह

जयललिता तमिलनाडु की छः बार मुख्यमंत्री थीं। वह अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ए.आई.ए.डी.एम.के.) पार्टी की महासचिव भी थीं। जयललिता राजनीति में शामिल होने से पहले एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार थीं। इन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में काम किया है। जयललिता का जन्म मैसूर (अब कर्नाटक राज्य में) में 24 फरवरी 1948 को मेलुकोट नामक एक जगह पर हुआ था। वह तमिल इयनगर परिवार से सम्बंधित हैं। इनके पिता जयराम पेशे के एक वकील थे। जब वे सिर्फ दो साल की थीं तो उनका निधन हो गया। जिसके बाद जयललिता और उनके भाई जयकुमार को अपनी मां के साथ बैंगलोर में स्थानांतरित होना पड़ा। जयललिता की प्रारंभिक शिक्षा बंगलौर में बिशप कॉटन स्कूल में हुई थी। पंद्रह वर्ष की उम्र में जयललिता ने अपनी माँ के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया। जयललिता ने 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया जब वह स्कूल में थीं। इनकी पहली फिल्म, 'ए पिस्टल', अंग्रेजी भाषा में थी और 1961 में रिलीज हुई थी। वर्ष 1964 में बी.आर. पंथुलु के दिशा निर्देश में उन्होंने अपनी पहली कन्नड़ फिल्म 'चित्रादा गोम्बे' में अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। 1965 में, उन्होंने पहली तमिल फिल्म 'वेनिरा आड़ाई' में की, जिसे सी.वी. श्रीधर द्वारा निर्देशित किया गया था। वर्ष 1960 के दशक के मध्य में तमिल फिल्मों में जयललिता पहली नायिका थीं जो लघु आस्तीन वाले कपड़े, स्कर्ट, गाउन और ऊनी सूट में दिखाई देती थीं। वर्ष 1966 में जयललिता ने अपनी पहली तेलुगू फिल्म 'मनुशुल ममथालू' की थी। जयललिता ने 1972 में फिल्म 'पट्टिकाडा पटनामा' में शिवाजी गणेशन के साथ अभिनय किया, जिसने तमिल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। वर्ष 1973 में, जयललिता को तीन फिल्म 'पट्टिकाडा पटनामा', 'सूर्यकांथी' और 'श्री कृष्ण सत्य' में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तीन फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। 1982 में, जयललिता एआईएडीएमके के सदस्य बनी। यह पार्टी एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित की गयी थी। एम.जी. रामचंद्रन ने ही जयललिता का राजनीति में प्रवेश कराया था और इसी साल उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण पेनिन पेरुमाई में दिया था। जनवरी 1983 में जयललिता को एआईएडीएमके के प्रचार का सचिव बनाया गया था। फरवरी 1983 में पार्टी ने जयललिता को तिरुचेन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। 1984 में पहली बार जयललिता राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं और 1989 तक उन्होंने सीट बरकरार रखी। 1984 में, पार्टी प्रमुख पुरची थलैवार एमजीआर बीमार पड़ गए और चिकित्सा उपचार के लिए यूएसए गए। उनकी अनुपस्थिति में, दिसंबर 1984 में तमिलनाडु में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान जयललिता ने पार्टी का नेतृत्व किया। उस वर्ष, कांग्रेस (आई) और एआईएडीएमके के गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। जयललिता को 1989 में बोडिनायकनूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था और वे तमिलनाडु की विधानसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला थीं। पार्टी के दो गुट जयललिता के नेतृत्व में फरवरी 1989 में फिर से एकत्र हुए, जिन्हें सर्वसम्मति से संयुक्त एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था।

"छोटी आदतों" की प्रभावी शक्ति लाएगी "बड़ा बदलाव"

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

क्या आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं? तो यह लेख आपके लिये है। हमारे जीवन में बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह हमारे छोटे-छोटे प्रयासों का नतीजा होता है। जी हाँ, एक दिन में किए गए बड़े बदलाव से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है हर दिन किया गया छोटा प्रयास। किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो एक-एक कदम बढ़ाना होगा। अपनी उन छोटी आदतों पर काम करें, जो आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगी। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है शुरूआत। अपनी शुरूआत को इतना आसान बनाएं कि ना कहने का म नही न करें। जैसे रोज़ किताब का एक पेज पढ़ना या महज 200 मीटर वॉकिंग। कई बार आपके घर का माहौल भी मैजिक की तरह काम करता है, जैसे किताबों को हमेशा सामने रखना और किचन से जंक फुड बाहर करके केवल हेल्दी खाना रखना। इसके साथ ही आपको निरंतरता के सिद्धांत पर अटल रहना होगा। जो भी काम शुरू करें उस पर लगे रहें।

सिस्टम बनाएं, सिर्फ लक्ष्य नहीं

सफलता का रास्ता बड़े-बड़े लक्ष्यों को तय करने से नहीं, बल्कि सही सिस्टम बनाने से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए फिट रहना है तो सिर्फ "वजन कम" करने का लक्ष्य नहीं, बल्कि "रोज व्यायाम" करने का सिस्टम बनाएं। "रोज 20 मिनट टहलने या व्यायाम करने का सिस्टम" बनाना ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं, तो लक्ष्य अपने आप हासिल होते चले जाते हैं।

आदतों को आसान बनाएं: '5-मिनट नियम'

किसी भी नई आदत को शुरू करना अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन इसे बेहद आसान बनाया जा सकता है। "5-मिनट नियम" कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना सरल बनाओ कि उसे शुरू करने में आपको महज पाँच मिनट या उससे भी कम लगें। सोचिए, रोज़ सिर्फ एक पेज किताब पढ़ना या बस 3 मिनट स्ट्रेचिंग करना। ये छोटी शुरुआतें ही आपकी आदतों को मज़बूत और टिकाऊ बनाती हैं। जब आप छोटे कदम उठाते हैं, तो प्रतिरोध कम होता है और आप आसानी से शुरुआत कर पाते हैं।

अपने माहौल को ढालें

आपकी सफलता की राह आपके आस-पास के माहौल से बहुत प्रभावित होती है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो अपने किचन और फ्रिज में सिर्फ ताज़े और स्वस्थ विकल्प रखें और अस्वस्थ चीज़ों को हटा दें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो किताबों को अपने सामने, आसानी से पहुँचने वाली जगह पर रखें। अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के हिसाब से ढालना अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने में बेहद मददगार साबित होता है।

स्वयं में सुधार पर करें फ़ोकस

हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन यह हमें निराशा के सिवा कुछ नहीं देता। किसी और से खुद को कंपेयर करने की जगह, स्वयं में सुधार पर फ़ोकस करें। यदि आप रोज़ बस 1% बेहतर बनते हैं, तो एक साल में आप खुद का एक बिल्कुल नया और बेहतरीन वर्जन बन जाएंगे। यह 1% सुधार की शक्ति ही है जो समय के साथ अविश्वसनीय परिणाम देती है।

निरंतरता ही कुंजी है

किसी भी काम में सफल होने के लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जो प्रयास शुरू करें, उसमें लगे रहें। आप पाएंगे कि यह धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगा और फिर इसे निभाना आसान हो जाएगा। याद रखें, एक या दो दिन का ब्रेक आपको पूरी तरह पटरी से नहीं उतारता, महत्वपूर्ण यह है कि आप फिर से शुरुआत करें और ट्रैक पर वापस आएं।

अपनी छोटी जीतों का करें जश्न

अपनी हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाना न भूलें। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी अगली जीत की भूख और भी तेज़ हो जाती है। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपको प्रेरित रखता है और आपको अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा देता है।

पहचान बदलें, आदतें अपने आप बदलेंगी

अपनी पहचान बदलकर आदतें बदली जा सकती हैं। "मैं व्यायाम करना चाहता हूँ" कहने के बजाय, जब आप यह मानना शुरू करते हैं कि "मैं एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति हूँ", तो व्यायाम करना आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें निभाना आसान और सहज हो जाता है।

गाडरवारा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराईं

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। तहसील गाडरवारा अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाडरवारा सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को न तो समय पर चिकित्सक मिल रहे हैं और न ही आवश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन एवं ड्रीप जैसी मूलभूत स्वास्थ्य सामग्री। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाडरवारा में टिटनेस जैसे आवश्यक इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि विगत दो-तीन महीनों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय नरसिंहपुर के औषधि भंडार से दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहर से महँगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे निर्धन एवं ग्रामीण वर्ग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार, सिविल अस्पताल गाडरवारा की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ आवश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन एवं बोतलें (ड्रीप) उपलब्ध नहीं हैं। आपातकालीन स्थिति में भी मरीजों को बाहर रेफर किया जा रहा है, जिससे समय पर उपचार न मिलने से उनकी स्थिति और गंभीर हो रही है। इस संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि कई चिकित्सा अधिकारी अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन न कर, अपने निवास पर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) एवं मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर (MPW) की ड्यूटी चिकित्सकों के स्थान पर लगाई जा रही है, जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित चिकित्सक न होने के कारण मरीजों को समुचित इलाज नहीं दे पा रहे हैं।

नक्सली माओवाद पर निर्णायक प्रहार

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह कुख्यात दरिंदा होने के साथ गुरिल्ला लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इसे पर्याय माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 से शुरू हुआ था। इसने वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसने रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले चुनाव लड़ा और छात्रसंघ का अध्यक्ष बन गया।यह माओवादी संगठन का महासचिव स्तर का नेता था। यह सैन्य बलों की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। इस ऑपरेशन में एक जवान का बलिदान भी हुआ है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुरक्षा बलों की असाधारण सफलता माना है। नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिष है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2024 में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। शाह का कहना है कि 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004-14 में नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004-14 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई है और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनके भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाका हैं, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों, छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ है कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में नक्सली नेता हिडमा का बोलबाला रहा है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा है, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास मोदी सरकार से पहले रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति की हमेशा कमी रही थी। तथाकथित पहरी माओवादी बौद्धिकों के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार रही। इस कारण भी इस समस्या का हल दूर की कौड़ी बना रहा। यही वजह थी कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटका देते थे।

नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूती दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुष विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेन्द्र कर्मा से दुश्मनी ठन गई। इस हमले में महेंद्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा अब फिर सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है।

व्यवस्था बदलने के बहाने 1967 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलबाड़ी ग्राम से यह खूनी आंदोलन शुरू हुआ था। तब इसे नए विचार और राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारवादियों ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने का ही पर्याय बना हुआ है। जबकि इसके मूल उद्देश्यों में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्रप्रदेश और अविभाजित मध्यप्रदेश के आदिवासियों का कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में आदिवासियों के प्रवेश शामिल थे। किंतु विषमता और पोषण से जुड़ी भूमण्डलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देष में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया था, जो पशुपति, नेपालद् से तिरुपति, आंध्रप्रदेश तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी खास चरमपंथ पसरा हुआ था। जब किसी भी किस्म का चरमपंथ राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बन जाए तो जरूरी हो जाता है, कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कारगर उपाय उचित हों, उनका उपयोग किया जाए ?दरअसल माओवादी नक्सलियों का जिस जहरीली विचारधारा से पोषण हुआ है, वह बंदूक की नोक पर सत्ता पर काबिज होने की क्रूर भावना से संचालित है। अतएव नक्सली संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके दिल और दिमाग में यह भ्रम उड़ेल दिया गया है कि वे एक दिन शासन, प्रशासन और न्यायपालिका को पंगु बनाकर भारत की सत्ता को हासिल कर लेंगे।

दरअसल, देश में तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगने जा रहा है।

सिर्फ जंगलों की होगी जंगल की जमीन

पर्यावरण की फिक्र
डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

जंगल, हमारे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय ताने-बाने की रीढ़ हैं। वे न केवल विविध वन्यजीवों और वनस्पतियों के निवासस्थल हैं, बल्कि जीवनदायिनी जलधाराएँ, मिट्टी की उर्वरता, कार्बन संचित करने की सामर्थ्य और स्थानीय आदिवासी व ग्रामीण समुदायों की आजीविका का आधार भी हैं। यही कारण है कि आज जब जंगलों का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है, तो चिंतित होना स्वाभाविक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने वन और वन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अनेक कानून बनाए ज्यों-ज्यों समय बदला, इन्हें और कठोर बनाकर पारित किया गया। पर सरकारी नीतियाँ, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और विशेष परियोजनाओं में राजनीतिक प्रधाएँ इन कानूनों को अक्सर ध्वस्त कर देती हैं। कई बार, औद्योगिक इकाइयों के लिए जंगलों को ब्लॉक-ग्रांट में देने की चर्चा होती है, फिर चाहे वह खनन परियोजना हो, बांध निर्माण हो या योजनाबद्ध आवासीय कॉलोनियाँ हों। इन सभी निर्णयों के केंद्र में आर्थिक "विकास" का तर्क होता है, लेकिन विकास के नाम पर अस्थिर आर्थिक लाभ जंगल, आदिम जीवन और जैवविविधता को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। वनाधिकार अधिनियम (2006) के तहत आदिवासी व अन्य पारंपरिक वन-आश्रित समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा का वचन मिला था, पर जमीन के वास्तविक स्वामित्व एवं उपयोग में गड़बड़ियाँ आज भी जारी हैं। पेड़ काटने, जंगलों में अवैध खेती, पट्टे जारी करने और गैर-वन उपयोग को रोकने में स्थानीय वनकर्मी व वन विभाग अक्सर असमर्थ साबित होते हैं। परिणामस्वरूप, जंगलों के विस्तार से कटे भागों में खेती, चराई और अवैध उत्खनन का साम्राज्य खड़ा हो जाता है।

भारत में पिछले कुछ दशकों में वनों का महत्वपूर्ण हिस्सा गायब हो चुका है। उपग्रह डेटा बताते हैं कि केवल 1990 से 2020 तक देश के वनक्षेत्र में लगभग 30 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है। वहीं जीएफडब्लू ने कहा कि देश ने 2002 से 2024 के बीच 3,48,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो दिया है- जो देश के कुल आर्द्र प्राथमिक वन का लगभग 5.4 प्रतिशत है। यह इसी अवधि के दौरान भारत के कुल वृक्ष आवरण नुकसान का 15 प्रतिशत है।

इसका सीधा असर जलवायु परिवर्तन में होता है। वन कटाई से मिट्टी में अपरदन की गति बढ़ जाती है, जिससे नदियाँ पहले से अधिक रंग-बिरंगट और अवरुद्ध हो जाती हैं। नदियों में तलछट का स्तर बढ़ने से बांध, जलाशय और सिंचाई प्रणालियाँ प्रभावित होती हैं। ग्रामीण इलाकों में भूखी मिट्टी, कम उपजाऊ खेत और जल संकट ने कृषि उत्पादन कम कर दिया है, जिसके चलते किसान आत्महत्या जैसी दुखद परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

जंगलों की रक्षा में एक बड़ी बाधा है भूमि अतिक्रमण। चाहे वह झुग्गी-बस्ती बनाना हो या चाय/कॉफी बागान के नाम पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करना, जहां एक ओर ये योजनाएं किसानों को रोजगार प्रदान करती दिखती हैं, वहीं असल में वे इकोसिस्टम को बुनियादी क्षति पहुँचाती हैं। कभी-कभी स्थानीय आदिवासी और गरीब समुदाय "वन उपज" के लिए वन क्षेत्र में जाते हैं, पर वे वैधानिक रूप से इसे प्राप्त नहीं कर पाते और अवैध व्यापार झेलते हैं। दूसरी ओर, संपत्ति निवेश और पर्यटन के नाम पर वनों में रिसोर्ट्स, जंगलों में कैंपिंग साइटें और लक्जरी लॉज बनाना आम हो गया है। बेमतलब की आवाजाही, कचरा गंदगी और स्थानीय जैवविविधता का विनाश इस विकास की क़ीमत हैं। दुर्भाग्यवश, सरकारों द्वारा जारी पट्टे व अनुमति पत्र अक्सर पारदर्शिता के अभाव में जारी होते हैं, जिससे कॉर्पोरेट घरानों को लाभ मिलता है और जंगल बचे-खुचे अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं।

वन विभाग के पास शारीरिक संसाधन और मानव-शक्ति का अभाव है। वन रक्षकों की संख्या कुल वनों के अनुपात में नगण्य है। साथ ही, तकनीक के इस्तेमाल में देरी जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस, जियो-टैगिंग इत्यादि के चलते अवैध कटाई एवं अतिक्रमण का पता लगाने में देरी होती है। उचित मानचित्रण की कमी और रिकॉर्ड की गड़बड़ी भी समस्या बढ़ाती है। कानूनी कारवाई में भी देरी होती है; कोर्ट में मुकदमे लंबित रहते हैं और अभियुक्तों पर कार्यवाही तब तक ठंडे बस्ते में रहती है, जब तक हकीकत से वे सारे इलाके नष्ट नहीं हो जाते। साथ ही कारागार भर जाने के डर से वन विभाग की कार्रवाई अक्सर दिखावटी हो जाती है, गंभीर अपराधी छूटकर भाग जाते हैं।

इस जटिल परिदृश्य से उबरने के लिए हमें तीन स्तरों पर कार्य करना होगा नीति निर्धारण, तकनीकी उपाय एवं सामुदायिक सहभागिता। वन अधिकार अधिनियम (2006) को पुनर्जीवित करते हुए, पारदर्शी भूमि अभिलेख होने चाहिए। हर इको सेंसिटिव जोन की सीमा-बद्धता जीआईएस मैप पर अंकित हो और यह आम जनता के लिए खुले-विस्तार से उपलब्ध हो। अवैध अतिक्रमण के लिए 'जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए। पहली नस्ती में ही गिरफ्तार/कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि शिकायत मिलने पर स्वतः आब्जर्वेशन और दो सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश हो। ड्रोन सर्विलांस, लॉन्ग-रेंज इन्फ्रारेड कैमरा और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का प्रयोग कर सैटेलाइट इमेजिंग के साथ लाइव मॉनिटरिंग।स्मार्टफोन एप के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को जंगल संबंधी उल्लंघन की रिपोर्ट करने की प्रणाली, जिसमें त्वरित इनाम और सुरक्षा मिले। जियो-टैगिंग द्वारा पेड़ों का डाटाबेस तैयार करना, ताकि कटाई पर नजर रखी जा सके। आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को वनमित्र या पारिस्थितिक प्रहरी का दर्जा देकर अधिकार एवं इनाम दिया जाए। वन उपज वहीयता प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, स्थानीय सहकारी समितियाँ बनाकर उत्पादकों का समर्थन किया जाए। मध्यप्रदेश के विजयनगर में स्थानीय आदिवासियों ने सामूहिक रूप से अवैध काट-छाँट का विरोध किया और स्वयं झांकी व्यवस्था स्थापित की। वन विभाग ने उनकी पहल को मान्यता दी, और अब ५००० हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षण में है। इस मॉडल को देशभर में फैलाया जा सकता है। स्कूल कॉलेज स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन में स्थानीय वनों का केस स्टडी जरूरी हो। नागरिकों में पानी, मिट्टी और वायु संरक्षण का भाव बनाए रखने के लिए सामाजिक अभियान एवं मास मीडिया की भूमिका। "सिर्फ जंगलों की होगी जंगल की जमीन" केवल एक नारा नहीं, बल्कि कार्यकलापों का मार्गदर्शन प्रस्ताव है। जब तक हम वनों को उनकी पहचान और स्वामित्व के आधार पर नहीं बचाएंगे, तब तक विकास का संतुलन बिगड़ता रहेगा। आजादी के सात दशक बाद भी हम जंगलों को 'निरस्त' भूमि समझ रहे हैं, जबकि वे हमारी अस्तित्व आधारशिला हैं। नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक तंत्र, स्थानीय समुदायों एवं आम जनमानस को एक साझा प्लेटफॉर्म पर आकर निर्णय लेने होंगे।

बीकेपी कालेज में विधानसभा स्तरीय परख पुरस्कार वितरण व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। पंडित बृजकिशोर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा लगातार 15वें वर्ष परख परीक्षा एवं पुरुस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली, होनहार बच्चों को बृजकिशोर महाविद्यालय के संचालक डॉ. अवनीश मिश्रा एवं उपस्थित अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। बीकेपी कालेज की छात्राओं द्वारा महाविद्यालय कुलगान "हम बीकेपी के बच्चे, जग का उद्धार करे प्रस्तुत किया गया। रानी अवन्तीबाई महाविद्यालय की कुलसचिव डा शक्ति जैन ने विद्यार्थियों से कहा कि हमें अपने कार्यों पर गर्व होना चाहिए घमण्ड नहीं। आगे बढ़ते हुए अपने विद्यालय, जिले, प्रदेश का नाम रोशन करें।

लगभग 620 बच्चों को किया सम्मानित

देवरी विधानसभा के विभिन्न स्कूलों में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं में निदा खान, श्रुति चौरसिया, विशाखा पटेल, संस्कृति गोंचा, आर्या तिवारी, 12वीं कक्षा से जिले में प्रथम स्थान प्राप्त अंकेश साहू, 10वीं कक्षा से जिले में आठवां स्थान प्राप्त रुचि यादव, सहित 620 छात्र छात्राओं को परख पुरुस्कार प्रदान किया गया। बीकेपी संचालक डॉ अवनीश मिश्र,भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अनिल दिमोले,जनपद पंचायत सीईओ मनीषा चतुर्वेदी, तहसीलदार विकास भदौरिया, प्रचार्या पूर्वा जैन, टाइम्स कॉलेज के संचालक सुशील गुप्ता, डॉ आशीष पटेरिया, डॉ. विवेचना मिश्रा, पुनीता गुप्ता, अनीता मिश्रा चौरसिया, दिनेश शुक्ला, अभय वर्मा, आशीष जैन, योगेश पाठक, मोनू दुबे, अंजु पाठक, आरती जैन, अमित पाठक सहित छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन शिवम शर्मा और हेमलता दुबे द्वारा किया गया।

हाईकोर्ट जबलपुर से बहुचर्चित डेरा सच्चा सौदा जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी अधिवक्ता सुशील गोयल की अग्रिम जमानत याचिका हुई निरस्त

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। जिला मुख्यालय पर एसपीएम रेलवे क्रॉसिंग के पास खोजनपुर में स्थित डेरा सच्चा सौदा सिरसा (हरियाणा) की 6.4 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से हुई रजिस्ट्री मामले में पुलिस द्वारा जांच उपरांत आरोपी बनाए गए अधिवक्ता सुशील गोयल, उनके पुत्र दिव्यांश गोयल और एकांश गोयल को माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत नहीं दिया जाने के बाद उच्च न्यायालय जबलपुर में अग्रिम जमानत के लिए आरोपी अधिवक्ता सुशील गोयल के मामले में फैसला आ गया है। पीड़ित पक्षकार संतोष कुमार जैन के अधिवक्ता संजय मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर माननीय न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अदालत में आरोपी अधिवक्ता सुशील गोयल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए लगाया गया आवेदन बहस के उपरांत खारिज कर दिया गया है। मामले में प्रतिवादी संतोष कुमार जैन की तरफ से अग्रिम जमानत आवेदन के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त द्वारा प्रभावी जिरह की गई है। आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका का आवेदन खारिज होने के बाद अब पुलिस गिरफ्तारी का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। वहीं आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने वाले पीड़ित पक्षकार संतोष कुमार जैन ने उच्च न्यायालय जबलपुर संजय द्विवेदी की अदालत द्वारा प्रकरण की गंभीरता पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किए जाने पर इसे सत्य की जीत बताया। पीड़ित पक्षकार संतोष कुमार जैन ने बताया कि जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश की अदालत से फरार आरोपियों की अग्रिम जमानत का आवेदन पूर्व में ही निरस्त हो चुका है। इसके बाद से आरोपी निरंतर फरार हैं। अब पुलिस को फरार आरोपी अधिवक्ता सुशील गोयल को गिरफ्तार कर प्रतिरूपित व्यक्ति ओमप्रकाश बरेठा के संबंध में पूछताछ कर पूरा मामला क्लियर करना होगा। अवगत हो कि संतोष कुमार जैन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर में अधिवक्ता सुशील गोयल द्वारा आवेदक के साथ षडयंत्रपूर्वक, छलकपट, धोखाधड़ी कर कदाचरण करते हुए अधिवक्ता कर्तव्यों का पालन नहीं करने को लेकर उनकी सनद निरस्त करने के लिए गंभीर आरोपों के साथ शिकायत भी की हुई है।

विकसित बस्तर की ओर

बस्तर क्षेत्र में कृषक, महिला, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास के लिए नई रणनीति

कृषि

- किसानों की **आय को दोगुना** करने के लिए विशेष प्रयास
- कृषि उत्पादों की **प्रोसेसिंग ब्रांडिंग** और **मार्केटिंग** को बढ़ावा
- **मिलेट फसलों** की खेती के रकबे का विस्तार
- कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना

पर्यटन

- **बस्तर दशहरा** का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन
- **घुमारास** गांव यूएन की **'बेस्ट टूरिज्म विलेज'** लिस्ट में शामिल
- **बस्तर पर्यटन सर्किट** का विकास
- **पर्यटक गाइड** प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **तीरथगढ़ जलप्रपात** पर पारदर्शी पुल के निर्माण की योजना

कौशल उन्नयन

- **90 हजार युवाओं** को कौशल विकास का प्रशिक्षण
- **40 हजार युवाओं** को रोजगार अवसर
- **32 नए कौशल** विकास केन्द्रों की स्थापना
- नई आत्मसमर्पित नक्सली पुनर्वास नीति 2025 में कई विशेष प्रावधान

उद्योग

- नई उद्योग नीति में बस्तर क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिए कई विशेष प्रावधान
- इस्पात उद्योगों के लिए 15 वर्षों तक रॉयल्टी प्रतिपूर्ति का प्रबंध
- आत्म समर्पित नक्सलियों को रोजगार हेतु उद्योगों व संस्थाओं को 5 वर्ष तक उनके वेतन का **40% सब्सिडी** भुगतान

R.O. No. : 13247/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)